

वर्षादि : 15 फीट चौड़ी सड़क, भूजा 33 फीट  
 भूजा नमूना नो. 1/2  
 दिनांक : 28-2-2019

हस्ता/ अंग्रेज़ी अतिरिक्त  
 वंशावली एवं विवरण

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण,  
 प्रधान पीठ नई दिल्ली के समक्ष  
 कंपनी अधिनियम-2013 (CAA)-02(PB)/2019  
 संशोधित  
 कंपनी अधिनियम-2013 (CAA)-172(PG)/2018  
 (कंपनी अधिनियम की धारा 230 से 232 के अंतर्गत)  
 कंपनी अधिनियम की धारा 230 से 232 और अन्य लागू हो रहे प्रावधानों एवं कंपनी  
 (समाप्ति) अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न 2018 के मामले के सम्बन्ध में  
 अथवा नैशनल ग्राइंडिंग लिमिटेड और वैशाली लिमिटेड और एलएनएल  
 अथवा एनएल और लेनदारों के मध्य व्यवस्था/सम्बन्ध के खोजना के मामले सम्बन्ध में  
 और

उपरोक्त के मामले में:  
 अथवा नैशनल ग्राइंडिंग लिमिटेड (पी आई एन: U70200DL1989PTC088586) कंपनी अधिनियम,  
 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय- जीएचसी, पॉस्ट 82,  
 फ्लोरिडन पार्क, मुंबई स्टेशन के पास, नई दिल्ली-110010  
 (वाणिज्यकर्ता कंपनी नं. 1/अंतरणकर्ता कंपनी)  
 और  
 वैशाली लिमिटेड लिमिटेड (पी आई एन: L55921DL1992PLC120483) कंपनी अधिनियम, 1966 के  
 प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय- 141, सी एन सी, पॉस्ट 82,  
 गीतार पार्क, मुंबई स्टेशन के पास, नई दिल्ली-110010  
 (वाणिज्यकर्ता कंपनी नं. 2/अंतरणकर्ता कंपनी)  
 आधिकारिक नोटिस

अथवा नैशनल ग्राइंडिंग लिमिटेड व वैशाली लिमिटेड और उसके सम्बन्धित अंतरणकर्ता एवं लेनदारों के  
 बीच व्यवस्था/सम्बन्ध के खोजना (खोजना) की मंजूरी देने के लिये धारा 230 से 232 और कंपनी अधिनियम, 2013  
 के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों के अंतर्गत एक प्राधिकृत अधिकारकर्ता कंपनी नं. 2 द्वारा माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि  
 प्राधिकरण, प्रधान पीठ नई दिल्ली के समक्ष दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 को उपरोक्त पी आई एन तथा निम्न माननीय  
 राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण ने दिनांक 2 जनवरी, 2019 को स्वीकृत कर दिया गया है।  
 उपरोक्त प्राधिकरण पर माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण के समक्ष अतिरिक्त सुनवाई के लिये प्रातः 10:30 बजे,  
 दिनांक 2 मार्च, 2019 को निर्दिष्ट किया गया है।  
 कोई व्यक्ति जो उपरोक्त प्राधिकरण का हस्तक्षेप या विरोध करने की इच्छा रखे है तो अपने एक इच्छुक वकील, न्याय  
 व्यवस्थापक या अपने अधिवक्ता द्वारा अंतरणकर्ता, अधिकारकर्ता के अधिवक्ता को, नीचे लिखे पते पर, अपने नाम व पते  
 के साथ एक प्रस्ताव भेजे कि प्रस्ताव प्राधिकरणों के अधिवक्ता व माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण प्रधान  
 पीठ, भूजा, भूजा, अथवा, आचार्य आचार्य हाउस सी.डी. 38, कॉलोनी, पॉस्ट 82, ब्लॉक नं. 2, नई दिल्ली-110002 के पास  
 माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सुनवाई की तिथि से कम से कम दो दिन पहले भेजें।  
 उक्त प्रस्ताव व्यक्ति प्राधिकरण का विचार करने का हक देता है कि वह अपनी विवेक का अन्तर्गत का उपयोग करे और अपने  
 उपरोक्त सुनवाई के समक्ष प्रस्तुत करे।  
 अधिकारकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा व्यक्ति को एक प्रति ऐसे व्यक्ति, जिसे उसकी जानकारी है, जो निर्धारित सुनवाई  
 के मुद्दान पर उपस्थित करवाई जायेगी।

हस्ता/ नई दिल्ली  
 दिनांक : 7 मार्च, 2019

वाणिज्यकर्ता के अधिवक्ता  
 पी.के.एस. वेंकटराव, सी.ए.सी.-201301 (एन.डी.)  
 मोबाइल नं. : 81 861168480  
 ईमेल : nageshwali@gmail.com

1. श्री. शिवदास सिंह सावरा प्रायारिक्टर व  
 अंध रीबॉट
  2. एनपीएल कौर
  3. रिचार्ज लेजर अंध इंडिया प्रा. लि.
  4. प्रीचिअस इंडिया लिमिटेड अंध लेजर प्रा
  5. किरत इंडिया प्रा. लि.
14. कर्न साहू कां. HHLN000314403  
 1. आरविंद कुमार  
 2. कर्मवीर  
 3. ए.के.सी. इलेक्ट्रोडाल अंध इजिनीअर  
 4. राजेश
  15. कर्न साहू कां. HHLRHN00195986  
 1. प्रिंटेड रिप्रेजेंट इन्फोटेक सिस्टम  
 2. प्रमिता
  16. कर्न साहू कां. HHLVAS00300345  
 1. वनिश सोनी  
 2. सुनिता सोनी  
 3. प्रशांत सोनी
  17. कर्न साहू कां. HHLN000425821  
 1. अंध सीबी इन्फो टेक सीबी  
 2. प्रिंटेड वाल सीबी
- कि अगर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(सी) ने क्वच  
 जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार चने खाते (ले)  
 उधार लेने वाले(सी) की ओर से क्वच भगवती का पुन  
 भौतर निष्पक्षता पर ध्यान देने के रूप में कर्न साहू कां  
 नई है।  
 उपरोक्त क्वच सुविधा रखते हुए कंपनी एलएनएल-अन्तर  
 भौतर आचरण ब्याज, साधारण, तथा सुकने सहित ऊपर  
 अधिनियम का निर्धारण करे, ऐसन करने पर कंपनी उधार  
 क्वच ध्यान दें कि चरने की कम्पनी की धारा 13 की उप  
 निर्दिष्ट या निजी समझौते द्वारा सुविधा आस्तियों की है  
 क्वचों के साथ से पूर्ण बकाया देन राशि अन्तर कर सकत  
 मोचन करने में कर्न साहू कां विफल रहने पर कर्न साहू कां  
 सरकारी अधिनियम की उपधारा 13(2) के प्रावधानों  
 को धे की (अपने क्वच के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत)
- स्थान: दिल्ली नगर (नई दिल्ली)/पेट्टर नोएडा/नो

Buyback at a price of ₹4.50/- (Rupees Four and Fifty Paise Only) per Equity Share.

The details of the minerals and the e-auction process are available from the website of Govt. of Jharkhand <http://www.jharkhand.gov.in>

**The details of the minerals**

#	Block	Mineral	District	Consent on Area	Reserve Price (Min. Tonne)
1	Bikri Stone Block	Stone	Seraikela-Kharawan	12.20 Acres	1.36
2	Gonnda Stone Block	Stone	East Singhbhum	2.07 Acres	0.358
3	Jamoli Stone Block	Stone	Simdega	1.70 Hectares	0.77
4	Mafai&Ker keta Stone Block	Stone	East Singhbhum	4.00 Acres	0.60
5	Sarangposi Stone Block-9.00 Acres	Stone	Seraikela-Kharawan	9.00 Acres	2.04
6	Sarangposi Stone Block-9.26 Acres	Stone	Seraikela-Kharawan	9.26 Acres	3.63
7	Tikaling Stone Block	Stone	East Singhbhum	2.85 Acres	0.39

Those interested and eligible for bidding can participate Document on payment of the tender fee of INR 25,000. Any other mineral block from the website of e-auction platform eligible bidders can register themselves on the above bidder will obtain Login ID and password necessary for

PR204453 Mines and Geology(18-19)D

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI  
COMPANY PETITION NO. (CAA)-02(PB)/2019  
CONNECTED WITH  
COMPANY APPLICATION NO. CA(CAA)-172(PB)/2018  
(under sections 230-232 of the Companies Act, 2013)  
IN THE MATTER OF SECTIONS 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS  
OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH COMPANIES  
(COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016  
AND  
IN THE MATTER OF THE SCHEME OF ARRANGEMENT AMONGST AGARWAL MEADOWS  
PRIVATE LIMITED AND PAISALO DIGITAL LIMITED AND THEIR RESPECTIVE  
SHAREHOLDERS AND CREDITORS  
AND  
IN THE MATTER OF:  
AGARWAL MEADOWS PRIVATE LIMITED [CIN:U70200DL1999PT038586], a company  
incorporated under the Companies Act, 1956 having its registered office CSC Pocket-  
52, Chittaranjan Park Near Police Station New Delhi-110019;  
--- Transferor Company/ Petitioner Company No. 1  
AND  
PAISALO DIGITAL LIMITED [CIN:LS021DL1992PLC120483] a company incorporated  
under the Companies Act, 1956 having its registered office 101 CSC Pocket-52, Cr Park  
Near Police Station New Delhi-110019;  
--- Transferee Company/ Petitioner Company No. 2  
**NOTICE OF PETITION**  
A Petition under Section 230 to 232 of the Companies Act, 2013 for sanctioning the  
scheme of Amalgamation/Arrangement of Agarwal Meadows Private Limited with Paisalo  
Digital Limited and their respective shareholders and creditors, was presented by the  
above-mentioned Petitioner Companies on 12<sup>th</sup> day of December, 2018 before the Hon'ble  
National Company Law Tribunal, Principal Bench, New Delhi and has been admitted by the  
Hon'ble NCLT on 2<sup>nd</sup> day of January, 2019 and the said petition is fixed for hearing before  
the Hon'ble NCLT on 2<sup>nd</sup> day of April, 2019 at 10:30 AM.  
Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the  
petitioner company's advocate at the below mentioned address and Hon'ble NCLT at  
Ground, 6th, 7th and 8th Floor, CGO Complex Lodhi Road, Block No. 3, New Delhi-110003,  
notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to  
reach the petitioner company's advocate and Hon'ble NCLT not later than two days before  
the date fixed for the hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the  
grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy  
of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on  
payment of the prescribed charges for the same.  
Place : New Delhi  
Date : March 7, 2019  
Sd/-  
R. Nagesh  
Petitioner Company's Advocate  
A-366, 2nd Floor, Sector-44, Noida-201301 (U.P.)  
Mobile No. : +91 9811156460, Email : r.nageshrah@gmail.com

(INFB) exposure, the  
 it a later date, on the  
 after the cut-off  
 after instrument) shall  
 in this process after the  
 in Bidder in respect of  
 the sale process by the  
 shall be entitled to any  
 and compliance by the  
 ing the counter bidding  
 D. The SC/RC which has  
 the Bidding. Carrels  
 use consent of the Bank  
 otherwise, Bid validity  
 is in the process either  
 process even if you/your  
 Change Method)  
 Associates Limited and

IDFC FIRST Bank Limited